अध्यादेश संख्या 11

परीक्षा नियंत्रक की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

1. परीक्षा नियंत्रक पाँच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसकी नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। यह पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति को कार्यकारी परिषद् द्वारा समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है (चयन प्रक्रिया के समुचित अनुपालन उपरांत)। उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
2. परंतु यह कि परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।
3. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी रूग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।
4. यदि परीक्षा नियंत्रक सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
5. जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/सरकार और इसके संगठनों के किसी कर्मचारी को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया जाता है, तो वह परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के पूर्व जिस सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना की पात्रता रखता था, उसी योजना (जैसे सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी)/स्थानांतरण यात्रा भत्ता) से शासित होता रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार जारी रखता है।
6. परीक्षा नियंत्रक को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।
7. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।
8. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा।
9. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षा नियंत्रक उन कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा जो कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर परीक्षा नियंत्रक को सौंपा जाए।

ORDINANCE NO: 11

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

1. The Controller of Examinations shall be whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.
2. Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.

3. When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
4. In case the Controller of Examinations is appointed on deputation from the Government or any other Organisation / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University. Provided that the Controller of Examinations appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.
5. Where an employee of this University or any other Institution / Government and its organizations is appointed as Controller of Examinations, he / she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund / Contributory Provident Fund / Pension / Gratuity / Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as the Controller of Examinations, and till he / she continues to hold his / her lien on that post.
6. Controller of Examinations shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he / she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.
7. The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.
8. Controller of Examinations shall arrange for and superintended the examinations of the University in the manner prescribed by the relevant Ordinances.
9. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform such duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council or Vice-Chancellor.